



दिनांक 31.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 39 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयन्ती के अवसर पर पुलिस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक: 31.10.2025 को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयन्ती के अवसर पर पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार में आयोजित कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण कर माल्यापर्ण किया गया।

सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस को “राष्ट्रीय एकता दिवस” के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों को शपथ दिलाई गयी।

“मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आन्तरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ।”

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के निर्देशन में उक्त अवसर पर पुलिस मुख्यालय (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा रक्तदान करते हुये स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का शुभारम्भ किया गया। उक्त रक्तदान शिविर एसजीपीजीआई लखनऊ के सहयोग से लगाया गया, जिसमें एसजीपीजीआई द्वारा सभी रक्तदाताओं को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया तथा रक्तदान करने वाले पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को उत्साहवर्धन हेतु पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा भी प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

~ 2 ~

आयोजित रक्तदान शिविर में श्री प्रशान्त कुमार अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन/पीएचक्यू, श्री शलभ माथुर पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, श्रीमती अपर्णा कुमार पुलिस महानिरीक्षक मानवाधिकार, श्री आर०के० भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक भवन एवं कल्याण/पीएचक्यू, श्री पवन कुमार पुलिस उप महानिरीक्षक साइबर क्राइम सहित पुलिस मुख्यालय स्थित विभिन्न इकाइयों में नियुक्त 100 से अधिक पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उत्साहपूर्वक रक्तदान किया गया।











दिनांक 31.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 40 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले आई0पी0एस0 अधिकारीगण का विदाई समारोह

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक: 31.10.2025 को पुलिस मुख्यालय में आयोजित विदाई समारोह के दौरान अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी श्री अभय कुमार प्रसाद पुलिस महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, उ0प्र0 लखनऊ एवं श्री शैलेन्द्र कुमार राय पुलिस अधीक्षक लोक शिकायत मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान श्री अभय कुमार प्रसाद जी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार राय जी द्वारा अपने संबोधन में पुलिस विभाग में अपनी नियुक्तियों के दौरान के महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुये पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 सहित कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिकारियों का आभार व्यक्त किया गया।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा कार्यक्रम के अन्त में अपने संबोधन में श्री अभय कुमार प्रसाद जी एवं श्री शैलेन्द्र कुमार राय जी द्वारा कार्यकाल के दौरान किये गये कार्यों की सराहना करते हुये उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गयी।

श्री अभय कुमार प्रसाद जी का जन्म 01 नवम्बर 1965 को बेगूसराय (बिहार) में हुआ था। वर्ष 1992 में “भारतीय पुलिस सेवा” में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त सहायक पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर पुलिस अधीक्षक(नगर) इलाहाबाद, मेरठ, पुलिस अधीक्षक जनपद मेरठ, टिहरीगढ़वाल, बस्ती, जालौन, सोनभद्र, अम्बेडकरनगर, शाहजहाँपुर, आजमगढ़, जौनपुर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर, पुलिस अधीक्षक उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, अभिसूचना मुख्यालय लखनऊ, क्षेत्रीय अभिसूचना मेरठ, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, कोसोवो, सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, विशेष जाँच लखनऊ, क्षेत्रीय अभिसूचना कानपुर नगर, पुलिस अधीक्षक/सहायक निदेशक, उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र लखनऊ, सेनानायक 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ एवं सेनानायक 37वीं वाहिनी पीएसी कानपुर नगर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2007 में

‘पुलिस उप महानिरीक्षक’ के पद पर प्रोन्नत होकर ‘पुलिस उप महानिरीक्षक’ इलाहाबाद परिक्षेत्र, फैजाबाद परिक्षेत्र, देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा, गोरखपुर परिक्षेत्र, बस्ती परिक्षेत्र, आजमगढ़ परिक्षेत्र, पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे इलाहाबाद, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद, पीएसी सेक्टर कानपुर नगर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद गोरखपुर के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2010 में “पुलिस महानिरीक्षक” के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिरीक्षक सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ, पुलिस महानिरीक्षक(कार्मिक) उ०प्र० लखनऊ, पीएसी मुख्यालय लखनऊ एवं फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2016 में “अपर पुलिस महानिदेशक” के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध) मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र०, अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन लखनऊ एवं अपर पुलिस महानिदेशक ईओडब्ल्यू लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2024 में “पुलिस महानिदेशक” के पद पर प्रोन्नत होने के उपरान्त पुलिस महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, उ०प्र० लखनऊ के पद पर नियुक्त हुये, जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री अभय कुमार प्रसाद जी निष्ठावान एवं मृदुभाषी स्वभाव के सुयोग्य अधिकारी रहे हैं। आपका 33 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री अभय कुमार प्रसाद जी को वर्ष-2001-2002 में यू०एन० सर्विस मेडल, स्वतंत्रता दिवस 2011 के अवसर पर दीर्घ एवं सराहनीय सेवाओं के लिये पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस-2015 के अवसर पर वीरता के लिये पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस-2017 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० का प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर), स्वतंत्रता दिवस-2017 के अवसर पर ही विशिष्ट सेवाओं के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक, स्वतंत्रता दिवस-2020 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० का प्रशंसा चिन्ह (गोल्ड) एवं स्वतंत्रता दिवस-2021 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक का प्रशंसा चिन्ह(प्लेटिनम) से सम्मानित किया गया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार राय जी का जन्म 01 नवम्बर 1965 को गोरखपुर में हुआ था। वर्ष 1997 में “प्रान्तीय पुलिस सेवा” में चयनित हुये। प्रशिक्षणोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, जनपद फैजाबाद, कानपुर नगर, आगरा, सिद्धार्थनगर, ललितपुर, मेरठ, आजमगढ़, जौनपुर एवं पुलिस उपाधीक्षक जालौन के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2013 में ‘अपर पुलिस अधीक्षक’ के पद पर प्रोन्नत होकर जनपद औरैया, बलरामपुर, चित्रकूट, सुरक्षा वाराणसी, सीबीसीआईडी मुख्यालय लखनऊ, सचिवालय सुरक्षा लखनऊ एवं क्षेत्रीय

अभिसूचना आजमगढ़ के पद पर नियुक्त रहे। वर्ष 2022 में “भारतीय पुलिस सेवा” में प्रोन्नत होकर पुलिस अधीक्षक क्षेत्रीय अभिसूचना आजमगढ़, पीटीएस मेरठ, कानून एवं व्यवस्था मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ के पद पर नियुक्त रहे। वर्तमान में पुलिस अधीक्षक लोक शिकायत, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ के पद पर नियुक्त हैं, जहाँ से आज अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार राय जी अत्यन्त निष्ठावान एवं सरल स्वभाव के अधिकारी रहे हैं। 28 वर्षों से अधिक का सेवाकाल अत्यन्त सराहनीय रहा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार राय जी को गणतन्त्र दिवस 2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के प्रशंसा चिन्ह (सिल्वर) एवं स्वतन्त्रता दिवस-2023 के अवसर पर पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के प्रशंसा चिन्ह(गोल्ड) से सम्मानित किया गया है।







दिनांक 31.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 41 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा पुलिस कर्मियों के आश्रित परिजनों को पुलिस सैलरी पैकेज के अन्तर्गत करीब 08 करोड़ 50 लाख रुपये के चेक प्रदान किये गये।

श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक: 31.10.2025 को विभिन्न जनपदों में अलग-अलग तिथियों में मृत पुलिस कर्मियों के शोक संतप्त आश्रित परिजनों पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का चेक प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा से किये गये एमओयू के तहत आकस्मिक दुर्घटना में मृत/विकलांग पुलिस कर्मियों को पुलिस सैलरी पैकेज (PSP) के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि के रूप में चेक प्रदान किये जाते हैं इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा मृत पुलिस कर्मियों के परिजनों को **01 करोड़ 70 लाख रुपये के चेक** प्रदान किये गये, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है:—

- आरक्षी मनोज कुमार जनपद बिजनौर में नियुक्त थे, डियूटी के दौरान वाहन से व्यक्ति को निकालने के लिये नहर में उतरे। नहर में बिजली का तार गिरने पर करंट उतरने के कारण दिनांक: 16.05.2025 को मृत्यु हो गयी।
- आरक्षी रविकान्त कमिश्नरेट आगरा में नियुक्त थे, विपरीत दिशा से आ रहे टैम्पो द्वारा इनकी मोटर साइकिल में जोरदार टक्कर मार देने के कारण दिनांक: 16.12.2024 को मृत्यु हो गयी।
- आरक्षी दुर्गेश कुमार कमिश्नरेट आगरा में नियुक्त थे, कार से घर आते समय पीछे से आ रहे ट्रक द्वारा टक्कर मारने से कार अनियंत्रित होकर नहर में गिर जाने के कारण दिनांक: 15.12.2024 को मृत्यु हो गयी।
- महिला आरक्षी प्रीती रानी जनपद शामली में नियुक्त थी, डियूटी समाप्त होने के बाद कार से शामली की तरफ जाते समय सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार से बचने के प्रयास में कार डिवाइडर से टकरा जाने के कारण दिनांक: 17.05.2025 को मृत्यु हो गयी।
- आरक्षी आर्यन वर्मा जनपद ललितपुर में नियुक्त थे, कार से घर लौटने के दौरान कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा जाने के कारण दिनांक: 22.04.2025 को मृत्यु हो गयी।

इस अवसर पर श्री प्रशान्त कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक प्रशासन/पीएचक्यू, श्री शलभ माथुर पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जीएसओ, श्री आर०के० भारद्वाज पुलिस महानिरीक्षक, भवन एवं कल्याण/पीएचक्यू सहित बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबन्धक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, उप महाप्रबन्धक श्री कमलेश राठौर, शाखा प्रबन्धक श्री शिशिकांत सिंह उपस्थित रहें।









दिनांक 31.10.2025

प्रेस विज्ञप्ति 42 / 2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफ-फर्जी वेबसाइट, साफ्टवेयर एवं पोर्टल के माध्यम से अन्तर्राज्यीय स्तर पर कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह के 05 सदस्य गिरफ्तार।

दिनांक 31-10-2025 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को फर्जी वेबसाइट, साफ्टवेयर एवं पोर्टल के माध्यम से अन्तर्राज्यीय स्तर पर कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह के 05 सदस्यों को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- लाल बिहारी पाल पुत्र सिरधर निवासी 555ग/ए-271ए सुभाष नगर, भोलाखेडा, मानसनगर, थाना कृष्णानगर, लखनऊ।
- 2- रवि वर्मा पुत्र बंशराज निवासी ग्राम-पिपरा बिटोरा इमलिया, बिशुनपुर, बैरिया, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।
- 3- सोनू वर्मा पुत्र बंशराज निवासी ग्राम-पिपरा बिटोरा इमलिया, बिशुनपुर, बैरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
- 4- बंशराज वर्मा पुत्र स्व0 वजनदास ग्राम-पिपरा बिटोरा इमलिया, बिशुनपुर, बैरिया थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
- 5- सत्यरोहन वर्मा पुत्र गंगाराम वर्मा निवासी ग्राम-पिपरा बिटोरा इमलिया, बिशुनपुर, बैरिया थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा।

बरामदगी:-

- 1- 05 अदद मोबाईल फोन।
- 3- 14 अदद आयुष्मान कार्ड।
- 4- 07 अदद एटीएम।
- 5- 25 अदद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र।
- 6- 05 अदद मृत्यु प्रमाण पत्र।
- 7- नगद रु0 27,690/- (सत्ताइस हजार छः सौ नब्बे रुपये)
- 8- 01 अदद डीएल।
- 9- 01 अदद हार्ड डिस्क।
- 10- 01 अदद बैगनार नं0 यूपी 14 सीएल 6208

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय:-

दिनांक 31-10-2025, स्थान-दुबग्गा तिराहा, लखनऊ एवं ग्राम पिपरा बिटोरा इमलिया, बिशुनपुर, बैरिया थाना-मोतीगंज जनपद गोण्डा।

फर्जी वेबसाइट, साफ्टवेयर व पोर्टल के माध्यम से कूटरचित जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने एवं इन्ही प्रमाण पत्रों के माध्यम से अनाधिकृत तरीके से लाभ, फर्जी बैनामा व वसीयत में प्रयोग किये जाने सम्बन्धी सूचना प्राप्त हो रही थी। फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले संगठित गिरोह द्वारा सैकड़ों की संख्या में फर्जी पोर्टल विकसित कर फर्जी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनाये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शुधान्धु शेखर, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ, लखनऊ के निकट पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया।

उपरोक्त क्रम में उप निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 विनोद सिंह, मु0आ0 सरोज अवस्थी, मुकेश प्रजापति आरक्षी अवनीष कुमार, आरक्षी पुष्प कुमार, कमाण्डो रामबली गिरि एवं राम बिलास चालक सुभाष एवं रईस अहमद की टीम भ्रमणशील थी। इस दौरान सूचना मिली कि फर्जी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले गिरोह का एक सदस्य वाहन संख्या: यूपी 14 सीएल 6208 वैंगनार द्वारा हरदोई से लखनऊ आने वाला है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा दुबग्गा चौराहे के पास से लाल बिहारी पाल उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से कूटरचित मृत्यु/जन्म प्रमाण पत्र बरामद हुए।

गिरफ्तार अभियुक्त लाल बिहारी ने पूछताछ पर बताया कि वह ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर ग्राम अहिरौरी जनपद हरदोई में सेवारत है। वह अपने साथी रवि वर्मा निवासी गोण्डा के सहयोग से फर्जी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाता है। अभियुक्त लाल बिहारी से पूछताछ के आधार पर उसके 04 अन्य सहयोगियों को ग्राम पिपरा बिटोरा इमलिया, बिशुनपुर, बैरिया थाना-मोतीगंज जनपद गोण्डा से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रवि वर्मा पुत्र बंशराज वर्मा ने बताया कि हम लोग अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महीनों से आनलाइन फर्जी वेबसाइट की कूटरचना कर उक्त वेबसाइट पर अपने साथियों से एक मुश्त रकम लेकर उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था। जिस पर वह लोग ऑनलाइन लॉगिन करके कूटरचित जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करते थे। उसकी निर्धारित फीस ऑनलाइन लेते थे। इस कार्य के लिए यह स्वयं एवं इसका भाई सोनू वर्मा Google, Youtube & Artificial Intelligence के माध्यम से जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र

बनाने वाली वेबसाइट <http://dashboardcrs.in> और <https://www.cscprintpoint.com> बनाकर youstable कम्पनी से होस्ट एवं क्लाउड डेटाबेस से कनेक्ट कराकर फर्जी जन्म/मृत्यु प्रमाण पत्र बनाता था। अभी तक इस गिरोह द्वारा लगभग 1,40,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र व 2500 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाया जा चुका है। यह लोग प्रति व्यक्ति लगभग 600—1000 रुपये तक लेते थे। रवि वर्मा प्रति जन्म प्रमाण पत्र 30/— रुपये व प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र 70/— रुपये यूपीआई के माध्यम से अपने पिता के खाते में लेता था। रवि वर्मा के विरुद्ध पूर्व में भी थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा में मु0अ0सं0 495/2022 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि व 66डी आईटी एक्ट का अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना साईबर, जनपद लखनऊ में मु0अ0सं0—175/2025 धारा 318(4), 319(2) 336(3), 338, 340(2) बीएनएस एवं 73, 74, 66सी, 66डी आईटी का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। अग्रेतर विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

जनपद कानपुर देहात/थाना सिकन्दरा

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 02 लाख 35 हजार रुपये नगद
- 01 मोबाइल फोन बरामद

दिनांक 30.10.2025 को थाना सिकन्दरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सूर्या तिराहा के पास से अभियुक्त अंशू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 लाख 35 हजार रुपये नगद, 01 मोबाइल फोन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.10.2025 को थाना सिकन्दरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपये चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिकन्दरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अंशू निवासी तलैया थाना मुंगावली जनपद अशोक नगर मध्य प्रदेश।

बरामदगी

1—चोरी के 02 लाख 35 हजार रुपये नगद।

2—01 मोबाइल फोन।

➤ जनपद शामली/थाना कोतवाली शामली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 06 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)

जनपद शामली पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शामली द्वारा थाना कोतवाली शामली पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1—संदीप उर्फ छोटा को धारा 147/148/149/302/120बी/506 भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 70 हजार रुपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2—वीरेन्द्र 3—अमित व तीन अभियुक्तों को धारा 147/148/149/302/506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 65—65 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
